

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2013

INCOME-TAX

S.O.3539 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (iii) of the Explanation 2 of clause (e) of the proviso to clause (5) of section 43 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with sub-rule (4) of rule 6DDD of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the Multi Commodity Exchange of India Limited, Mumbai as a recognised association for the purposes of clause (e) of the proviso to clause (5) of the said section, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The Central Government may withdraw the recognition of Multi Commodity Exchange of India Limited, Mumbai if any of the conditions specified in rule 6DDC of the Income -tax Rules, 1962, is violated.

3. This notification shall remain in force until the approval granted by the Forward Markets Commission is withdrawn or expires, or the notification is rescinded by the Central Government under sub-rule (5) of rule 6DDD of the Income-tax Rules, 1962.

[Notification No.92/2013] [F. No. 142/31/2013-TPL]

[Ashis Mohanty]
Under Secretary to the Govt. of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 29 नवम्बर, 2013

आय-कर

का.आ. 3539 (अ) केन्द्रीय सरकार, आय-कर नियम, 1962 के नियम, 6घघघ के उपनियम (4) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (ड) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के खंड (5) के परंतुक के खंड (ड) के प्रयोजनों के लिए मल्टी क्मोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मान्यताप्राप्त संगम के रूप में अधिसूचित करती है ।

2. केन्द्रीय सरकार मल्टी क्मोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई की मान्यता को आय-कर नियम, 1962 के नियम, 6घघघ में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी का भी अतिक्रमण किए जाने की दशा में वापस ले सकेगी ।

3. यह अधिसूचना तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि वायदा बाजार आयोग द्वारा अनुदत्त अनुमोदन को वापस नहीं ले लिया जाता अथवा उसका अवसान नहीं हो जाता या जब तक कि अधिसूचना को केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घघघ के उपनियम (5) के अधीन विखंडित नहीं कर दिया जाता है ।

[अधिसूचना सं 92 /2013 [फा.सं.142/31/2013-टीपीएल]

(आशीष मोहन्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार